



# हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

## रिटेल आउटलेट डीलरों की नियुक्ति हेतु सूचना

1. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर रिटेल आउटलेट डीलरशीप हेतु डीलर नियुक्त करना चाहता है :

अनु. क्र.	स्थान / गाँव / तहसील / खंड	राजस्व जिला	रोस्टर श्रेणी	कंपनी विकसित करने हेतु			मार्केट प्लान एच	प्रस्तुत स्थान की अनुमानित प्रतिमाह विक्री क्षमता केएल में	भूखंड का न्यूनतम आकार अग्रभाग X गहराई			भूमि की कीमत छोड़कर आवेदक द्वारा किये जाने वाले निवेश की रकम (लाख ₹) में	सुरक्षा जमा राशि (लाख ₹) में	एसएच/एनएच का नाम यदि रिटेल आउटलेट हाईवे पर है
				श्री लर	कंपनी लीज	कंपनी स्वामित्व			आकार वर्ग मीटर में	अग्रभाग मीटर में	गहराई मीटर में			
				स्वामित्व आधारित निम्न टिप्पणी (i) को देखें	आधारित निम्न टिप्पणी (ii) को देखें	आधारित निम्न टिप्पणी (iii) को देखें								
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आय	जे	के	एल	एम		
<b>भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय (अनु क्र 1 से 85)</b>														
1	खिरकिया मंडी - मंडी मेन गेट से, दोनो ओर 1 किमी के अंदर	हरदा	ओपी	-	-	हाँ	2005-06 (आर) संशोधित	125	900	30	30	15	2	-
2	नान्दरावाड़ा 0 किमी से 1 किमी के अंदर, दोनो ओर सिवनी मालवा या इटारसी की ओर	होशंगाबाद	पीएच (म)	-	-	हाँ	2005-06 (आर) संशोधित	84	900	30	30	15	2	-
3	सुल्तानपुर	रायसेन	पीएच	-	-	हाँ	2005-06 (आर) संशोधित	72	900	30	30	15	2	-
4	कडवावा, पुलिस चौकी से 1 किमी तक मार्ग पर	अशोक नगर	एफएफ (म)	-	-	हाँ	2005-06 (आर) संशोधित	72	900	30	30	15	2	-
5	डबरा, शुगर मिल चौराहा से पितरवार मार्ग की ओर 3 किमी के अंदर, मार्ग पर	व्यालियर	पीएच(म)	-	-	हाँ	2005-06 (आर) संशोधित	70	900	30	30	15	2	-
6	चुनाभपुरा, पुलिस स्टेशन से 2 किमी के अंदर मार्ग पर	श्यापुर	डिईएफ	-	-	हाँ	2005-06 (आर) संशोधित	78	900	30	30	15	2	-
7	प्यारसपुर, एनएच-86 के अलावा	विदिशा	पीएच(म)	-	-	हाँ	2005-06 (आर) संशोधित	75	900	30	30	15	2	-
8	महदावा	हरदा	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	72	900	30	30	15	2	-
9	ग्राम धरमकुंडी, तहसील सिवनी मालवा	होशंगाबाद	ओपी (म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	72	900	30	30	15	2	-
10	भरखछ कलां	रायसेन	डिईएफ (म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	900	30	30	15	2	-
11	विकलोद विराहा से 2 किमी तक विकलोद-रायसेन मार्ग या विकलोद-भोपाल मार्ग पर	रायसेन	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	80	900	30	30	15	2	-
12	फुंय, धोनापुरा मार्ग पर 2 किमी के अंदर	फिंड	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	84	900	30	30	15	2	-
13	लाडपुरा	श्यापुर	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	79	900	30	30	15	2	-
14	हैदराबाद, (प्यारसपुर तहसील)	विदिशा	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	75	900	30	30	15	2	-
15	करई विराहा से 1 किमी के अंदर	शिवपुरी	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	72	900	30	30	15	2	-
16	ग्राम केलनपुर	हरदा	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	77	900	30	30	15	2	-
17	राजपुर	अशोकनगर	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	72	900	30	30	15	2	-
18	माहली, बेरीयार से 2 किमी के अंदर रोड पर	अशोकनगर	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	72	900	30	30	15	2	-
19	चिचौली, एनएच-59ए छोड़ कर	बैतूल	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	80	900	30	30	15	2	-
20	बडौदा और ललितपुर के बीच मुख्य जिला मार्ग पर (एनडीआर)	श्यापुर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	76	900	30	30	15	2	-
21	रनोद, बस स्टेशन से 2 किमी किसी भी ओर	शिवपुरी	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	900	30	30	15	2	-
22	अट्टर विराहा से अम्बाहा या गोस्नी की ओर 2 किमी तक	मुर्ना	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	900	30	30	15	2	-
23	ग्राम करहीया	व्यालियर	ओएस्सी(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	75	900	30	30	15	2	-
24	ग्राम बोराधा	होशंगाबाद	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	72	900	30	30	15	2	-
25	ग्राम पगारा	होशंगाबाद	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	72	900	30	30	15	2	-
26	ग्राम खथोरा	शिवपुरी	एफएफ(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	121	900	30	30	15	2	-
27	ग्राम बागलोन	होशंगाबाद	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	72	900	30	30	15	2	-
28	डबरा, डबरा-भीतरवार मार्ग पर, माझी से 1.5 किमी अंदर	व्यालियर	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	71	900	30	30	15	2	-
29	नरसिंहगढ़, भोपाल 81 किमी पश्चिम से भोपाल 83 किमी पश्चिम एनएच-12 पर	राजगढ़	पीएच(म)	-	-	हाँ	2003-04 संशोधित	200	1600	40	40	20	3	एनएच-12
30	शाजपुर, शाजपुर-बेरछा मोड़ से 3 किमी के अंदर, मरसी की ओर एनएच-3 पर	शाजपुर	पीएच(म)	-	-	हाँ	2003-04 संशोधित	210	1600	40	40	20	3	एनएच-3
31	सांसपुर, ब्यावरा 59 किमी पश्चिम से ब्यावरा 63 किमी पश्चिम एनएच-3 पर	राजगढ़	एफएफ	-	-	हाँ	2003-04 संशोधित	205	1600	40	40	20	3	एनएच-3
32	वीरगढ़, एनएच-59ए पर 0 किमी पश्चिम से 1 किमी तक दोनो ओर	बैतूल	डिईएफ	-	-	हाँ	2003-04 संशोधित	210	1600	40	40	20	3	एनएच-59 अ
33	भट्टेरा मोड़ से 2 किमी के अंदर किसी भी ओर एनएच-12 पर, मोड़ से दोनो ओर 1 किमी छोड़ कर	रायसेन	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10	200	1600	40	40	20	3	एनएच 12
34	एनएच-12 पर विकलोद मोड़ से 1 किमी छोड़ कर बीनेका की ओर 3 किमी तक	रायसेन	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10	200	1600	40	40	20	3	एनएच 12
35	सोडपुर विराहा से टिम्बली की ओर 1 से 2 किमी के बीच	हरदा	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10	200	1600	40	40	20	3	एनएच 59 अ
36	भर्रा के पास, एनएच-69 पर, इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट से दोनो ओर 1 किमी छोड़ कर 4 किमी तक	बैतूल	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10	200	1600	40	40	20	3	एनएच-69
37	गांधीनगर, ऑल सेंट कॉलेज से इंदौर रोड बायपास जोड़ तक	भोपाल	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10	200	1600	40	40	20	3	एनएच-12
38	एनएच-3 और एनएच-12 जोड़ से (ब्यावरा के पास) भोपाल की ओर एनएच-12 पर 1 से 4 किमी के बीच	राजगढ़	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10	211	1600	40	40	20	3	एनएच-12
39	ए.बी.रोड व्यालियर पर गिरवाई चौक 2 से 2 किमी तक किसी भी ओर	व्यालियर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	222	1600	40	40	20	3	एनएच-3
40	बाबई 0 किमी पश्चिम से 1 किमी तक किसी भी ओर एनएच-22 पर	होशंगाबाद	डिईएफ	-	-	हाँ	2003-04 संशोधित	120	1440	40	36	18	2	एनएच-22
41	साडिया 0 किमी पश्चिम से 1 किमी तक किसी भी ओर एनएच-19 पर	होशंगाबाद	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10	120	1440	40	36	18	2	एनएच-19
42	बन्हीरी/कोण्डली में सिलवानी-बरेली मार्ग या देहागंज मार्ग पर	रायसेन	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10	70	1440	40	36	18	2	एनएच-15
43	बाग पिपरिया या उदिया छावड़ा मोड़ से 1 किमी तक किसी भी ओर बरेली-पिपरिया मार्ग पर	रायसेन	ओएस्सी(म)	-	-	हाँ	2009-10	70	1440	40	36	18	2	एनएच-19
44	बुघनी-रेहटी मार्ग पर 3 किमी के अंदर, बुघनी-रेहटी जोड़ से 1 किमी छोड़ कर एनएच-69 पर	सिहोर	एफएफ(म)	-	-	हाँ	2009-10	92	1440	40	36	18	2	एनएच-22
45	डोबी	सिहोर	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10	83	1440	40	36	18	2	एनएच-15
46	सुसनेर	शाजपुर	डिईएफ(म)	-	-	हाँ	2009-10	84	1440	40	36	18	2	एनएच-14
47	नटैन, एनएच-19 पर	विदिशा	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10	60	1440	40	36	18	2	एनएच-19
48	जामनेर पंचायत सीमा के अंदर	शाजपुर	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10	73	900	30	30	18	2	-
49	मकसुदनगढ़	मुना	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10	83	1440	40	36	18	2	एनएच-14
50	करसा नगर, एनएच छोड़ कर	शिवपुरी	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10	72	900	30	30	18	2	-
51	कमोनी चौराहा से 3 किमी तक, एनएच-10 पर	अशोकनगर	डिईएफ(म)	-	-	हाँ	2009-10	72	1440	40	36	18	2	एनएच-10
52	रामपुर	मुना	एफएफ(म)	-	-	हाँ	2009-10	89	1440	40	36	18	2	एनएच-23
53	चौराई विराहा से 1 किमी तक सेवड़ा लहार मार्ग पर	फिंड	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10	61	1440	40	36	18	2	एनएच-19
54	कमोनादाना, बस स्टेशन से 2 किमी तक	शिवपुरी	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10	57	1440	40	36	18	2	एनएच-19
55	सिरौज, (बस स्टेशन से पीडब्ल्यूडी स्टेट हाउस तक, लटेरी मार्ग पर)	विदिशा	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10	150	1225	35	35	20	2	एनएच-14
56	शाहगंज विराहा से 1 किमी छोड़ कर शाहगंज-बुघनी मार्ग पर या शाहगंज-भोपाल मार्ग पर 3 किमी तक (2 किमी दोनो ओर)	सिहोर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	67	1440	40	36	18	2	एनएच-15
57	लडकुई, इछार-नसुलगांज मार्ग पर	सिहोर	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10	80	1440	40	36	18	2	एनएच-53
58	बैरसिया चौराहा से बैरसिया-विदिशा मार्ग पर 3 किमी तक	भोपाल	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10	113	900	30	30	18	2	-
59	जोरा	मुर्ना	ओएस्सी(म)	-	-	हाँ	2009-10	55	1440	40	36	18	2	एनएच-2
60	पोलोकला बस स्टेशन से अकोदिया मार्ग पर 2 किमी तक या आष्टा मार्ग पर 1 किमी तक	शाजपुर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	78	900	30	30	18	2	-
61	सिहोर डब्ल्यूएमएल (भोपाल-इंदौर रोड मार्ग छोड़ कर)	सिहोर	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10	77	625	25	25	18	2	-
62	शाजपुर डब्ल्यूएमएल, एनएच छोड़ कर	शाजपुर	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10	105	625	25	25	18	2	-
63	सांसपुर डब्ल्यूएमएल, एनएच छोड़ कर	राजगढ़	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10	86	900	30	30	18	2	-
64	राजगढ़ डब्ल्यूएमएल, एनएच छोड़ कर	राजगढ़	डिईएफ(म)	-	-	हाँ	2009-10	78	900	30	30	18	2	-
65	फिंड, जेल और शासकीय विद्यालय पुननी बस्ती के बीच	मिण्ड	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	63	900	30	30	18	2	-
66	मुर्ना डब्ल्यूएमएल	मुर्ना	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10	99	900	30	30	18	2	-
67	इन्दराबाद, विराहा से 2 किमी सेवाड़ा दरिया मार्ग पर	दरिया	एफएफ	-	हाँ	-	2003-04 संशोधित	60	1440	40	36	18	2	एनएच-19
68	ब्यावरा डब्ल्यूएमएल, पुराना ए.बी. मार्ग पर	राजगढ़	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10	125	900	30	30	18	2	-
69	शुजालपुर डब्ल्यूएमएल	शाजपुर	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10	82	625	25	25	18	2	एनएच-41
70	नजीरबाद डब्ल्यूएमएल, मकसुदनगढ़ मार्ग पर	भोपाल	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10	91	1440	40	36	18	2	-
71	श्यापुर 3 किमी तक कराहल की ओर राजगढ़ पर	श्यापुर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	96	1225	35	35	18	2	एनएच-6
72	व्यालियर, कावपी ब्रिज मार्ग पर, गोलें का मंदिर चौराहा से सात नम्बर चौराहा के बीच	व्यालियर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	96	625	25	25	18	2	-
73	मांडेर	दरिया	पीएच	-	-	हाँ	2009-10	70	1440	40	36	18	2	एनएच-45
74	भोपाल नगर निगम सीमा के अंदर, लिंक रोड 3 से कोलार रोड जोड़ तक और लिंक रोड 2 से भद्रनदा रोड तक	भोपाल	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10	157	1080	36	30	20	3	-
75	सारणी, बानाडोना-सारणी मार्ग पर, रिलायंस आउटलेट से किसी भी ओर 3 किमी तक	बैतूल	पीएच	-	-	हाँ	2009-10	150	1080	36	30	20	3	-
76	इटारसी डब्ल्यूएमएल, एनएच-69 छोड़ कर	होशंगाबाद	ओपी(म)	-	-	हाँ	2003-04 संशोधित	200	1080	36	30	20	3	-
77	बीएचएल जुबली गेट से अयोध्या बायपास जोड़ तक लिंक रोड पर	भोपाल	पीएच	-	-	हाँ	2009-10	157	625	25	25	20	3	-
78	नरसिंहगढ़ एनएच छोड़ कर	राजगढ़	पीएच	-	-	हाँ	2009-10	159	1080	36	30	20	3	-
79	व्यालियर कम्प्यू	व्यालियर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	150	832	32	26	20	2	-
80	हरदा डब्ल्यूएमएल	हरदा	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10	190	900	30	30	20	3	-
81	अगर, छावनी चौराहा से टोल नाका तक उजैन रोड एनएच-27 पर	शाजपुर	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10	161	625	25	25	20	3	-
82	कोलार नगर पालिका सीमा के अंदर, संस्कार उद्यान से बैरगढ़ चौकी की ओर कोलार रोड पर,	भोपाल	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10	224	1080	36	30	20	3	-
83	भोपाल में होशंगाबाद रोड पर सुभाष नगर रेल फाटक से रिजर्व बैंक के बीच	भोपाल	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	282	832	32	26	20	3	-
84	इंदौर से भोपाल मार्ग पर, भोपाल 7 किमी पश्चिम से 12 किमी पश्चिम के बीच (बैरगढ़ के पास)	भोपाल	ओपी	-	-	हाँ								



# हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

## स्टेल आउटलेट डीलरों की नियुक्ति हेतु सूचना

(पिछले पृष्ठ से जारी ....)

अनु. क्र.	स्थान / गाँव / तहसील / खंड	राजस्व जिला	रोड/ट्र	कंपनी विकसित करने हेतु			मार्केट प्लान	प्रस्तुत स्थान की अनुमानित प्रतिमाह विक्री क्षमता केरल में	भूखंड का न्यूनतम आकार अप्रभाग X गहराई			भूमि की कीमत छोड़कर आवेदक द्वारा किये जाने वाले निवेश की रकम (लाख ₹) में	सुरक्षा जमा राशि (लाख ₹) में	एसाएच/एनएच का नाम यदि स्टेल आउटलेट हाईवे पर है	
				डीलर स्वामित्व आधारित निम्न टिप्पणी (i) को देखें	कंपनी लीज आधारित निम्न टिप्पणी (ii) को देखें	कंपनी स्वामित्व आधारित निम्न टिप्पणी (iii) को देखें			आकार वर्ग मीटर में	अप्रभाग मीटर में	गहराई मीटर में				
				इ	एफ	जी			एच	आय	के				एल
140	यादव कॉलोनी, विजय नगर, जबलपुर	जबलपुर	ओएसपी	-	-	हाँ	2009-10	100	625	25	25	20	2	-	
141	सिरमौर चौराहा से 5 किमी तक सिरमौर की ओर	सीवा	पीएमपी	-	हाँ	-	2009-10	114	625	25	25	20	2	-	
142	जबलपुर इन्ड्यूस्ट्रियल (एम्पायर टॉकीज से 2 किमी तक समी मार्ग जो एम्पायर टॉकीज मार्ग को जोड़ते हैं)	जबलपुर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	100	625	25	25	20	2	-	
143	शास्त्री ब्रिज से तिलवाड़ा की ओर 2 किमी दूरी तक (ब्रिज से 1 किमी दूर)	जबलपुर	डिईएफ(म)	-	-	हाँ	2009-10	190	625	25	25	20	3	-	
144	करेली तिराहा से 6 किमी तक एनएच-26 पर सागर की ओर	नरसिंहपुर	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10	210	2025	45	45	20	3	एनएच-26	
145	मण्डला इन्ड्यूस्ट्रियल	मण्डला	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	160	625	25	25	20	3	-	
146	सतना इन्ड्यूस्ट्रियल	सतना	डिईएफ	-	हाँ	-	2009-10	120	900	30	30	20	2	-	
147	दीनदयाल चौक से दमोह नाका	जबलपुर	डिईएफ(म)	-	-	हाँ	2009-10	100	625	25	25	20	2	-	
148	उमरिया ओएमएल (एनएच पर 2 किमी तक कटनी की ओर)	उमरिया	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	200	2025	45	45	20	3	एनएच-78	
149	टिकरिया एनएच 12ए पर	मण्डला	पीएमपी	-	-	हाँ	2009-10	200	2025	45	45	18	3	एनएच-12ए	
150	साई मंदिर से सिवनी की ओर 3 किमी तक एनएच-7 पर	सिवनी	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10	200	2025	45	45	25	3	एनएच-7	
151	जबलपुर, (एनएच-7 और एनएच-12 जोड़) जोड़ से 1 किमी छोड़ कर 3 किमी तक एनएच-12 पर	जबलपुर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	200	2025	45	45	25	3	एनएच-12	
152	नीमाव, एनएच-75 पर	छतरपुर	एफएफ	-	-	हाँ	2009-10	200	2025	45	45	25	3	एनएच-75	
153	ग्राम रामपुर, गांधीग्राम (किमी पक्कर 431 से 433 जबलपुर की ओर एनएच-7 पर)	जबलपुर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	200	2025	45	45	25	3	एनएच-7	
154	न्यू कटनी जंक्शन एरिया (कटनी इन्ड्यूस्ट्रियल)	कटनी	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10	100	625	25	25	20	2	-	
155	एनएच-7 और एनएच-12 के जोड़ से 1 किमी छोड़कर कटनी की ओर एनएच-7 पर 4 किमी तक	जबलपुर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	200	2025	45	45	25	3	एनएच-7	
156	नरसिंहपुर इन्ड्यूस्ट्रियल	नरसिंहपुर	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10	100	625	25	25	20	2	-	
157	कटनी इन्ड्यूस्ट्रियल	कटनी	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	160	625	25	25	20	3	-	
158	बसारी ग्राम चौराहा से खजुराहो की ओर 2 किमी तक	छतरपुर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	200	2025	45	45	25	3	-	
159	सिरमौर चौक से घुनामट्टा तिराहा	सीवा	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	200	400	20	20	20	3	-	
160	करेली एनएच-26 पर	नरसिंहपुर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	200	2025	45	45	25	3	एनएच-26	
161	टीकमगढ़ ओएमएल, नगर सीमा से बाहर 1 किमी तक	टीकमगढ़	पीएमपी(म)	-	-	हाँ	2009-10	110	625	25	25	20	2	-	
<b>इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय (अनु क्र 162 से 277)</b>															
162	मोहन पंचायत सीमा के अंदर	नीमच	पीएमपी	-	-	हाँ	2005-06 (आर) संशोधित	70	1225	35	35	15	2	-	
163	जीवन पंचायत सीमा के अंदर	नीमच	पीएमपी	-	-	हाँ	2005-06 (आर) संशोधित	80	1225	35	35	15	2	-	
164	सिंगोली, पंचायत सीमा के अंदर	नीमच	एफएफ	-	-	हाँ	2005-06 (आर) संशोधित	80	1225	35	35	15	2	-	
165	पाडल्या खुर्द, पंचायत सीमा के अंदर	खरगोन	ओएसपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
166	सिलवावद, पंचायत सीमा के अंदर	बड़वानी	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
167	खेड़ा खजुरीया	उज्जैन	पीएमपी(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	80	1225	35	35	15	2	-	
168	गंगावा, बस स्टेशन से 1 किमी के अंदर सनावद खरगोन मार्ग पर	खरगोन	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
169	भगवानपुर, पंचायत सीमा के अंदर	खरगोन	पीएच(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
170	देहरी, पंचायत सीमा के अंदर	धार	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
171	अजनास, पंचायत सीमा के अंदर	देवास	पीएमपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	80	1225	35	35	15	2	-	
172	सिद्धी, पंचायत सीमा के अंदर	इंदौर	ओपी	-	-	हाँ	2005-06 (आर) संशोधित	80	1225	35	35	15	2	-	
173	सिमलिया चाऊ शिवा ब्रिज से 3 किमी के अंदर, कनाडिया ग्राम की ओर	इंदौर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
174	रतनगढ़, पंचायत सीमा के अंदर	नीमच	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
175	बागोट, बलवाड़ा-मंडलेश्वर मार्ग पर	खरगोन	पीएच	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
176	बीर, पंचायत सीमा के अंदर	खण्डवा	पीएमपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
177	रतनपुर, पंचायत सीमा के अंदर	देवास	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
178	डीगंधान, पंचायत सीमा के अंदर	धार	पीएच(म)	-	हाँ	-	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
179	शिवपुर, पंचायत सीमा के अंदर	रतलाम	डिईएफ(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
180	रामपुर, पंचायत सीमा के अंदर	नीमच	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
181	कल्याणपुर, पंचायत सीमा के अंदर	झाबुआ	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
182	ताल, ताल-नावरा मार्ग पर ताल बस स्टेशन से 2 किमी के अंदर	रतलाम	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
183	रिजलाई, (एकेडीएन बायपास मार्ग पर)	इंदौर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
184	वखलपुरा पंचायत सीमा के अंदर	झाबुआ	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
185	महिंदपुर रोड, (महिंदपुर-नागदा मार्ग जोड़ से 2 किमी के अंदर महिंदपुर सिटी की ओर)	उज्जैन	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
186	नापाखेड़ा चौराहा, 0.5 किमी परिधी के अंदर	मन्दसौर	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
187	निवाली, बस स्टेशन से 1 किमी के अंदर	बड़वानी	पीएच	-	-	हाँ	2005-06 (आर)	80	1225	35	35	15	2	-	
188	बागली, पंचायत सीमा के अंदर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-		
189	सीहोद, पंचायत सीमा के अंदर	इंदौर	पीएमपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
190	चिरोला नाका, खाबरोद रतलाम मार्ग पर 2 किमी के अंदर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-		
191	ग्राम झारवा, पंचायत सीमा के अंदर	उज्जैन	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
192	पिपलियागढ़ी, अनाज मंडी से मनारसा मार्ग पर 1 किमी के अंदर	मन्दसौर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
193	बड़ीया कीमा	इंदौर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
194	सिकन्दर खेड़ी, सतवास-पुनारसा मार्ग पर	देवास	डिईएफ	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
195	मंदवाड़ा पंचायत सीमा के अंदर	बड़वानी	पीएमपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
196	मुंदरी, झाबुआ मार्ग पर 1 किमी के अंदर	रतलाम	पीएच	-	-	हाँ	2005-06 (आर) संशोधित	80	1225	35	35	15	2	-	
197	बाकानेर, पंचायत सीमा के अंदर	धार	डिईएफ	-	-	हाँ	2005-06 (आर) संशोधित	80	1225	35	35	15	2	-	
198	हसलपुर, पंचायत सीमा के अंदर	इन्दौर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
199	बामनिया, पंचायत सीमा के अंदर	झाबुआ	पीएच	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
200	माताजी बायाला, पंचायत सीमा के अंदर	रतलाम	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10 (आर)	70	1225	35	35	15	2	-	
201	धरमपुरी/राजोटा, (एनएच-27)	इन्दौर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	200	1575	35	45	20	3	एनएच-27	
202	संधवा, नया एनएच-3 बायपास पर	बड़वानी	ओपी	-	-	हाँ	2003-04 संशोधित	200	2250	45	50	20	3	एनएच 3	
203	इन्दौर बायपास रोड पर, राऊ जंक्शन से बायपास के अंत तक	इन्दौर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	200	1575	35	45	20	3	एनएच 3	
204	दकाधिया चौराहे से देवास की ओर एनएच-3 पर 5 किमी तक	इन्दौर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	200	1575	35	45	20	3	एनएच 3	
205	खंडवा रोड इन्दौर पर (सिंग रोड जंक्शन से टोल प्लाजा इन्दौर)	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	200	1225	35	35	20	3	एनएच-27		
206	जुलवानिया बायपास पर, संधवा से इन्दौर दांयी ओर एनएच-3 पर,	बड़वानी	पीएमपी	-	-	हाँ	2009-10	200	2250	45	50	20	3	एनएच 3	
207	एनएच-59ए पर, बायपास जंक्शन से मेमावार जाते समय बांयी ओर 8 किमी के अंदर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	200	1575	35	45	20	3	एनएच 59 ए		
208	इन्दौर पोपाल मार्ग पर (एनएच-18) बांयी ओर सोनकरछ बायपास के प्रारंभ से 5 किमी की दूरी के अंदर	देवास	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	200	1575	35	45	20	3	एनएच-18	
209	सावेर बायपास, एनएच-27 (पर उज्जैन से इन्दौर की ओर बांयी तरफ)	इन्दौर	ओपी	-	-	हाँ	2009-10	200	1575	35	45	20	3	एनएच-27	
210	इंडेस मंडिकल कॉलेज के मेन गेट से एनएच-59ए पर 2 किमी के अंदर	ओपी(म)	-	-	हाँ	2009-10	200	1575	35	45	20	3	एनएच 59 ए		
211	बरोली, इन्दौर उज्जैन रोड (एनएच-27)	इन्दौर	एएससी	-	-	हाँ	2009-10	150	-	-	-	-	-	एनएच-27	
212	जेथपुरिया फटा जंक्शन के दोनो ओर 1 किमी तक	नीमच	पीएमपी	-	-	हाँ	2003-04 संशोधित	100	1575	35	45	18	2	एनएच-31	
213	महु पीधमपुर मार्ग के दोनो ओर इन्दौर जिला सीमा के अंदर	इन्दौर	ओपी(म)	-	-	हाँ	2003-04 संशोधित	90	1225	35	35	18	2	एनएच-27	
214	नीमच बायपास पर मंदसौर की ओर बांयी तरफ	नीमच	ओपी(म)	-	-	हाँ	2003-04 संशोधित	100	1800	40	45	18	2	एनएच-31	
215	बड़वाह प्रस्तावित बायपास मार्ग एनएच-27 पर	खरगोन	पीएच	-	-	हाँ	2005-06 संशोधित	100	1225	35	35	18	2	एनएच-27</	



# हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

## रिटेल आउटलेट डीलरों की नियुक्ति हेतु सूचना

(पिछले पृष्ठ से जारी ...)

- टिप्पणी :**

श्रेणी में दिए गए (म) का अर्थ सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित।

- i.** कॉलम 'ड' में 'हैं' के रूप में बताए स्थान डीलर स्वामित्व आधार पर विकसित किए जायेंगे पूरे ढांचे का निर्माण आवेदक द्वारा किया जाएगा और भूमिसंहित, आवेदक द्वारा एचपीसीएल को लीज पर दी जाएगी, इन मामलों में नंचित लीज किराया राशि जमीन मालिक को अदा की जाएगी और यह समान राशि डीलरशिप से अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क के रूप में वसूली जाएगी। इसके अलावा सर्विस स्टेशन से निम्न दर पर वसूली की जाएगी जो कि वर्तमान में पेट्रोल के लिए 17/- – ₹ प्रति केलर और डीजल के लिए 15/- – ₹ प्रति केलर है।

- ii.** कॉलम 'एफ' में 'हैं' के रूप में बताए स्थान कंपनी लीज आधार पर विकसित किए जायेंगे पूरे ढांचे का निर्माण आवेदक द्वारा किया जाएगा और भूमिसंहित, आवेदक द्वारा एचपीसीएल को लीज पर दी जाएगी, इन मामलों में नंचित लीज किराया राशि जमीन मालिक को अदा की जाएगी और यह समान राशि डीलरशिप से अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क के रूप में वसूली जाएगी। इसके अलावा सर्विस स्टेशन से निम्न दर पर वसूली की जाएगी जो कि वर्तमान में पेट्रोल के लिए 17/- – ₹ प्रति केलर और डीजल के लिए 15/- – ₹ प्रति केलर है।

- iii.** कॉलम 'जी' में 'हैं' के रूप में बताए स्थान कंपनी स्वामित्व आधार पर विकसित किए जायेंगे। आवेदक को सिर्फ अपनी जमीन एचपीसीएल को लीज पर देनेनी होगी। जमीन पर सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण एचपीसीएल द्वारा किया जाएगा। इन मामलों में लीज किराया राशि जमीन मालिक को अदा की जाएगी परंतु डीलरशिप से नहीं वसूली की जाएगी। सर्विस स्टेशन लाइसेंस फीस (एसएसएलएफ) डीलरशिप से उच्च दर पर वसूली की जाएगी जो कि वर्तमान में पेट्रोल के लिए 47 / – ₹ प्रति केलर और डीजल के लिए 40/ – ₹ प्रति केलर है।

- iv.** उम्मीदवार को आवेदन के साथ उस जमीन का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा, जिसे वह रिटेल आउटलेट के लिए उपलब्ध करणा चाहिए/चाहती है, जमीन की स्थिति पर व्यावहारिकता तथा वाणिज्यिक दृष्टि से विचार करने तथा कम्पनी को स्वीकार्य दरों पर जमीन को दीर्घकालीन पट्टे पर एचपीसीएल को ट्रांसफर करने के इच्छुक उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, चुने गए उम्मीदवारों को ऊपर क्रम सं (ii) में यथा परिभाषित भूखंड तथा उस पर निर्मित सुपर स्ट्रक्चर का अध्याप्त करम क्रम सं. (iii) में यथा परिभाषित भूखंडको, कम से कम 15 वर्षों के लिए और 15 वर्षों हेतु नवीकरणीय विकल्प के साथ एचपीसीएल को लीज पर देना होगा।

- v.** अगर कोई आवेदक चुने जाने के बाद उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाई गई जमीन को आशय पर (लेटर ऑफ इन्टेन्ट–एलओआई) की तारीख से दो महीने की अवधि के अंदर उपलब्ध कराने में अक्षमर्थ होता है तो कॉर्पोरेशन को उसे आवंटित डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को रद्द करने का अधिकार है, जमीन की उपयुक्तता एचपीसीएल द्वारा नि्धारित की जाएगी. आवेदक की प्रस्तावित भूमि को लेने के लिए एचपीसीएल बाध्य नहीं है।
- vi.** पात्र उम्मीदवार जिनके पास रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए सुरंत साइट उपलब्ध हो या साइट खरीदने, पट्टे पर लेने के लिए निवेदन के माेलिक से पक्की प्रतिबद्धता हो वे ऐसी जमीन के विवरण अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे। आवेदकों को, बाद में कोई अन्य जमीन प्रस्तावित करने का अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए आवेदक के परिवार के सदस्यों की सहमति हेानी चाहिए। विवाहित आवेदक के मामले में (i) पति/पत्नी (ii) अविवाहित पुत्र/पुत्रों (iii) अविवाहित पुत्री/पुत्रियों की जमीन तथा अविवाहित आवेदक के मामले में (i) उसके अविवाहित भाई (भाईयों)/बहन (बहनों) (ii) माता पिता की जीनेवाली जमीन की स्थान के आवेदक को लीज पर देनी होगी। इस उद्देश्य से, आवेदन की तारीख से न्यूनतम 15 वर्षों के दीर्घावधि पट्टे पर दी जानेवाली जमीन ‘स्वामित्व’ वाली जमीन समझा जायेगी।

- vii.** यदि प्रस्तावित जमीन राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित हो तो आवेदक द्वारा प्रस्तावित साइट परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एनएचएआय (NHA।) के विधानदेशिक क्रमांक आरडब्ल्यू/एनएच–33023/19/99–2001–11। दिनांक 25.09.03/17.10.03 के अनुसार हो और उसके पश्चात किये गये संशोधन के अनुरूप हो यदि-एसा नहीं होगा तो आवेदक द्वारा प्रस्तावित साइट के मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जायेगा। और आवेदक को उसके समान माना जायेगा जिनहोंने जमीन प्रस्तावित नहीं की हो। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित साइट संबंधीनिक निकायों जैसे कि उन बिस्फोट आदि के मानदंडों को पूरा करती हैं तथा जमीन वाणिज्यिक एवं पेट्रोल – सभ्य के उपायोग हेतु परवर्तनीय होती चाहिए। राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच)/राज्य महामार्ग (एसएच) के प्लांटों के मामले में प्लाट के सामने का हिस्सा/गहरी विद्यमान एनएचएआई दिशानिर्देश/आईआरसी: 12–2009 दिशा निर्देश के अनुसार सड़क के मध्य से 30 मीटर या अधिक या जो लागू हो उसके अनुसार मान्य किया जायेगा।

यदि प्लाट से 11 क्वी से अधिक उच्च दबाव वाली ऊपरी लाईन गुजरती होगी तो ऐसे प्लांटों को अयोग्य माना जाएगा। हालांकि पिन प्लांटों से 11 क्वी के समकावच या उसके कम दबाव वाली लाईन गुजरती होगी तो डीलरशिप पुस्तिका के क्रम संख्या 5 में वर्णित बुकनुं बिक्री स्थलों के मूल्यांकन मानदण्डों के अनुसार उसे अमान्य किए बिना शुच्य अंक दिया जायेगा। इसके रचनांतराल का खर्च आवेदक को वहन करना होगा।

- viii.** आवेदक, एचपीसीएल की डीलर चयन मार्गदर्शिका के साथ–साथ मूल्यांकन मापदंड हमारी वेबसाइट **www.hindustanpetroleum.com** पर देख सकते हैं। आवेदन पत्र ही हमारी वेबसाइट **www.hindustanpetroleum.com** से डाउनलोड किए जा सकते हैं। मार्गदर्शिक तत्वों के साथ आवेदन पत्र का नाना, डीलर नियुक्ति हेतु लागू सभी मार्गदर्शक तत्व और प्रतिलिा पत्र /निवेदन पत्र केनमूने जिन्हें आवेदन केसाथ जोडना है, सम्पूर्ण विवरण डीलर चयन की संपूर्ण मार्गदर्शिका ब्राउचर रूप में उपलब्ध है जो कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड केपक्ष में आहरित है ₹ 50/- (डीडी/बे-आर्डर) जमा कर हमारे कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है. उपर दर्शाए किस्सी भी स्थान के लिए डीलरशिप हेतु आवेदन करनेवाले सभी इच्छुक उम्मीदवारों को उपर दएत वेबसाइट में से 01/04/2010 से प्रभावी डीलरशिप सिलेक्शन गाईड लाईन्स खंड का ब्राउचर डाउनलोड करना या उसे प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करना अनिवार्य है।

- 2. पात्रता मापदंड:**

**क. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए (परिशिष्ट ए और ‘ए1’ के अनुसार (जो लागू हो) शपथपत्र प्रस्तुत करना है.)**

**ख. श्रेणी :** सम्बंधित श्रेणी के लिए आरक्षित/विभाजित निश्चित श्रेणी हेतु निम्नलिखित श्रेणी के ही व्यक्ति केवल आवेदन कर सकते हैं. जबकि खुली श्रेणी के लिए कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है. (जिस श्रेणी से संबंध है उसके प्रमाणस्वरूप सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें.)

**शारीरिक विकलांग संवर्ग (पीएच):**

इस संवर्ग से संबंधीत व्यक्ति को उपरी या निचले अंगों को कम से कम 40% तक स्थायी / आंशिक अशक्तता या ऊपरी व निचली दोनों अंगों की कुल मिलाकर 50% स्थायी/आंशिक अशक्तता के साथ आर्थोपेडिक सर्जि से विकलांग होना चाहिए. इस उपबोधन हेतु अमेरिकन एकेडमी के अथवा अर्थोपेडिक सर्जन, अथवा अन्य आर्थोपेडिक सर्जन, अथवा अर्थोपेडिक लिम्ब्स मैन्ड्युक्चरिशन कॉर्पोरेशन आफ इंडिया, जी.टी.रोड, कानपुर की ओर से प्रकाशित मैन्ड्युअल कर्ब आर्थोपेडिक सर्जन इन डेव्होल्पिंग परमानेंट फिजिकली इम्पेयरमेंटेट में निहित मापदण्ड लागू होंगे। इस संबंघ में सामाजिक न्याय मंत्रालय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा 13.06.2001 को प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं.154 लागू होगी. पुर्णतः कम, बधिर या नेत्रहीन व्यक्ति भी पात्रता रखते है।

कृपया सिविल सर्जन / मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सरकारी अस्पताल के अधीक्षक द्वारा **परशिष्ट “बी”** में संलग्न फॉर्मेट के अनुसार जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

**प्रतिरक्षा कार्मिक संवर्ग (डिइएफ):**

इस संवर्ग से सम्बंधित व्यक्तियों को महानिदेशक पुनर्वास (डी.जी.आर), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित परस्पर प्राथमिकता के अनुसार प्रायोजित किया जाना चाहिए।

अ) वीरशक्ति प्राप्त होने के पश्चात शौर्य पुरस्कार विजेताओं की विधवाएं/आश्रित

ब) युद्ध शहीदों की विधवाएं/आश्रित

क) युद्ध में अक्षम हुए व्यक्ति

ड) कर्तव्य निभाते हुए अनुकरणीय कारणों से शहिद होने वालों की विधवाएं / आश्रित

इ) शांतिकाल में अनुकरणीय कारणों से अक्षम हुए व्यक्ति

कृपया आवेदित डीलरशिप हेतु उम्मीदवार की प्रायोजित करने वाले महानिदेशक पुनर्वास (डी.जी.आर), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।

एचएस/डीलरशिप विशेष के लिए जारी पात्रता का प्रमाणपत्र दूसरे स्थान/डीलरशिप के लिए मान्य नहीं होगा। **अगर प्रमाणपत्र इस समय उपलब्ध न हो तो उसे समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन कि दिनांक से 90 दिन के अंदर प्रस्तुत करें**

**उत्कृष्ट खिलाडी संवर्ग (ओपीी)**

निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :

– अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित

– ओलंपिक/एथिाड/राष्ट्रकुल खेलों तथा मान्यता प्राप्त विश्व चैंपियन/विश्व चैंपियनशिपों मे पदक विजेता

– मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप के अंतर्गत राष्ट्रीय चैंपियन

– राष्ट्रीय साहस पुरस्कार विजेता, राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित

उम्मीदवारों को राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने वाली मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय परिसंच (युवा मामले एवं खेलकूद विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) या युवा मामले एवं खेलकूद विभाग, के प्रमाण की प्रति संलग्न करनी होगी

**अर्थसैनिक / पुलिस / सरकारी कार्मिक श्रेणी (पीएएमपी):**

निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :

अर्थसैनिक/पुलिस कर्मचारी में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, रेल सुरक्षा बल, विद्येध आरक्षित पुलिस, विशेष सशस्त्र पुलिस, तट रक्षक, असम राइफल इत्यादि, यथा केंद्र सरकार द्वारा मनोनित तथा राज्यों के पुलिस बल, कस्टर्स, तथा केन्द्रीय उच्यदर कष विभाग, नाकौंटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्धन वित्तियल, आर्थिक सूचना निदेशालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हो तथा जो केंद्रिय / राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में कार्यरत हो, जो कि अपना कर्तव्य निभाते हुए अक्षम या अशक्त हो गये हो तथा अपना कर्तव्य निभाते हुए उनकी मृत्यु की स्थिति में उनकी विधवाएं/आश्रित।

**पी.एम.पी. संवर्ग हेतु परस्पर प्राथमिकता**

क) मृत्युपरंत शौर्य पुरस्कार विजेताओं की विधावाएं/आश्रित

ख) युद्ध में मारे गये व्यक्तियों की विधवाएं/आश्रित

ग) कर्तव्य निभाते हुए अक्षम हुए व्यक्ति

घ) सेवा काल में मृत व्यक्तियों की विधवाएं/ आश्रित

च) शांतिकाल में अनुकरणीय कारणों से अक्षम हुए व्यक्ति

कृपया संबंधित संतधन/सरकारी विभाग कार्यालय प्रधान या किसी अधिकारी जिसका पद सरकार के उपसचिव के पद से कम हो, द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें जिस में उल्लेख हो कि आवेदन उपरोक्त में से किसी से संबंधित है।

**स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग (एफएफ) :**

इस श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को गृह मंत्रालय भारत सरकार का ताम्रपत्र या प्रमाणपत्र की प्रति या लेखा महानिदेशक के द्वारा स्वतंत्रता सैनिक होने के प्रमाण के रूप में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेशन की स्वीकृति हेतु गृह मामले मंत्रालय के स्वीकृति पत्र के अनुक्रम में जारी पेशन आर्डर की सत्यापित प्रति स्वतंत्रता सेनानी होने के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करनी चाहिए।

**आयु :** आवेदन की तारीख को (पूर्व वर्षों) में, 21 वर्ष से कम नहीं, 61 वर्ष, मद्देनूा पत्र अथवा माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र, जिसका उम्र तारीख हो की सत्यापित प्रतिलिपि, चुनाव आयोग द्वारा जारी पचवान पत्र अथवा अनुभव प्रमाण स्वरूप हलफनामा।

**घे) शैक्षिक योग्यता :** कम से कम मैट्रिकुलेशन अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष प्रमाण के रूप में मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष और अन्य योग्यता प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें। स्वतंत्रता सेनानी, उत्कृष्ट खिलाडी, पीएएमपी एवं प्रतिरक्षा श्रेणी के लिए आरक्षित डीलरशिप के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों को शैक्षणिक योग्यता का आवश्यक प्रापण पत्र आवेदन करनेवाले व्यक्तियों के शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन किया जायेगा।

**ब) बहु डीलरशिप मापदंड (रिशेदार संबंधी) : भागीदारों के समेत व्यक्तियों के लिए :** आवेदन के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास अपने खुद के नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से किसी ऑयल कंपनी के एमएफ/एचएसडी/एसकेओ–एलओओ/एलपीजी की डीलरशिप / डिस्ट्र्यूटरीशिप या आशय पत्र/एलओआई नहीं होनी चाहिए।

इस प्रयोजन के लिए परिवार सदस्य में विवाहित आवेदक के लिए (1) पति-पत्नी (2) अविवाहित पुत्र (पुत्रों)/पुत्री (पुत्रियों) और अविवाहित आवेदक के लिए ( 1) अविवाहित भाई (भाइयों)/बहन (बहनों) और (2) माता-पिता का समावेश है।

**व्यक्तितगत न होनेवाले एक्कों के लिए:**

**कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों के लिए:**

i) आवेदक कंपनी आरओ/एसकेओ/एलपीजी की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र नहीं होगी, अगर कोई भी आरओ/एसकेओ/एलपीजी की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप अथवा अभिप्राय पत्र (एलओआई) आवेदक कंपनी या निम्न में से किसी व्यक्ति द्वारा धारण की हुई है :

क) कोई भी संबालक या उसके परिवार का सदस्य (परिवार की व्याख्या व्यक्तियों के लिए मल्टिपल बहुडीलरशिप की शर्तों में वर्णित अनुसार।

ख) होल्डींग (धारक) कम्पनी अथवा उप कम्पनी

ग) कोई भी अन्य कंपनी या फर्म जिसमें आवेदक कम्पनी की अंशाधारिता (एक्विट) नियंत्रण धारिता अर्थात् 51% या अधिक हो

ii) यदि पहले से आरओ डीलरशिप, एसकेओ/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र नहीं होगा अगर ऐसे एक्कों द्वारा या प्रशासक बॉडी / प्रबंधक बॉडी /रक्षा कोई अन्य बॉडी के किसी भी सदस्य ने या उसके परिवार के सदस्य ने, तो प्रापणवर्त के लिए बहु डीलरशिप नियमों के प्रकरण में परिभाषित परिवार के अनुसार। अगर कोई भी आर ओ/एसकेओ एलपीजी की डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप धारण की हो।

**संबंधित राज्य सरकारों के धर्मादाय आयुक्त आयोगों में पंजीकृत धर्मदाय संघटीत संस्थाएं न्यास तथा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटियों के लिए:**

ऐसे एक्क आर ओ/एस के ओ/एलपीजी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र नहीं होंगे अगर ऐसे एक्कों द्वारा या प्रशासक बॉडी / प्रबंधक बॉडी /रक्षा कोई अन्य बॉडी के किसी भी सदस्य ने या उसके परिवार के सदस्य ने, तो प्रापणवर्त के लिए बहु डीलरशिप नियमों के प्रकरण में परिभाषित परिवार के अनुसार। अगर कोई भी आर ओ/एसकेओ एलपीजी की डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप धारण की हो।

**छ. ग्रामीण स्थानों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए (हमारा पत्र):**

**ग्रामीण स्थानों पर “हमारा पत्र” के लिए प्राथम्यता के संबंध में आवेदक संबंधित जिला का निवासी होना अनिवार्य है। इस उम्मीदवारी के लिए पात्र होने के हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित निवासी प्रमाणपत्र, आवेदन पत्र के साथ जोडना अनिवार्य है।**
**स्थानों के लिए “सी” के अनुभव**

ग्रामीण स्थानों के लिए (हमारा पत्र/एचपी राजा) उम्मीदवार द्वारा दी जाने वाली जमीन का मूल्यांकन डिलर चयन मार्गदर्शिका पुस्तिका में दिये निर्देशों के आधार पर किया जायेगा। हमारा पत्र तथा एचपी राजा प्रवर्ग के बिक्री केंद्रों के लिए चुने हुए उम्मीदवारों के एलओआय प्राप्त होने के पश्चात एचपीसीएल की संतुष्टि हो सके इस प्रकार संरक्षक दीवार सहित प्लॉथ के स्तर तक जमीन को भरना होगा और इसके पश्चात जमीन सुविधा स्थापित करने के लिए एचपीसीएल को सुपूर्द करनी होगी।

**हमारा पंप और एचपी राजा रिटेल आउटलेट की सूधि :**

i) भोपाल क्षेत्र : **हमारा पत्र** क्रम संख्या 1–28 और, **एचपी राजा** क्रम संख्या 40–73

ii) जबलपुर क्षेत्र : **हमारा पत्र** क्रम संख्या 86–93 और **एचपी राजा** क्रम संख्या 94–138

iii) इंदौर क्षेत्र : **हमारा पत्र** क्रम संख्या 162–200 और **एचपी राजा** क्रम संख्या 210–232

**8. अयोग्यता:**

क) व्यक्ति जिसे किसी अपराधिक कृत्व का दोषी पाया गया हो, जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार / आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम से भिन्न) भी शामिल है ऐसे व्यक्ति आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

ख) पूरुत: लकवाग्रस्त अथवा जिसकी दिमागी हालत ठीक न हो (पाल्पन से पीड़ित हो) ऐसे व्यक्ति किसी भी श्रेणी में आवेदन करने के पात्र नहीं।

ग) किसी भी ऑयल कम्पनी द्वारा सिद्ध कदाचार / मिलावट के कारण ऐसी डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटर अनुबंध के हस्ताक्षरकर्ता जिसे बर्खास्त कर दिया गया हो, आवेदन करने के पात्र नहीं।

घ) जान–बूझकर गलत जानकारी देने के दोषी।

आवेदक को इस संबंध में बिंदु सं. 2(क), 2(ब), 3(क) और 3 (ग) को समाहित करते हुए **परिशिष्ट ‘ए’** के अनुसार शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिन महिला आवेदकों का विवाह के उपरांत नाम बदल गया हो उन्हें विवाह प्रमाण पत्र की प्रति तथा इस आशय का शपथ पत्र लाना होगा, जिसमें विवाह पूर्व ऐसे बाद के परिवर्तित नाम का उल्लेख हो।

**4. भागीदारिता:** भागीदारिता के मामले में प्रत्येक भागीदार को, पृथक रूप से विनिर्धारित पात्रता मापदंड को पूरा करना होगा तथा अलग आवेदन शुल्क सहित अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा. जिन्हें साथ में जोडकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए. साक्षात्कार के लिए बुलाने पर सभी भागीदारों को उपस्थित होना होगा। उन्हें प्रस्तावित भागीदार करार की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी।

**5. पंजीकृत को–ऑर्परेटिव सोसायटियों / उपभोक्ता सोसायटियों:** किसी भी श्रेणी अधीन आवेदन कर सकनेों है बशर्ते सोसायटी के सभी सदस्य उसी श्रेणी के होने चाहिए जिसके लिए कार्यरतयत विज्ञापित किया गया है। यह भी शर्त है कि प्रत्येक सदस्य तथा एक संस्था के रूप में सोसायटी ‘नॉन कनिवर्केशन क्लॉस’ को भी पूरा करती हो, साथ ही सोसायटी पिछले तीन वित्तीय वर्षों से लाभ कमा रही हो, महिला श्रेणी के लिए आरक्षित स्थल के लिए आवेदन करने वाली किसी भी सोसायटी की सभी सदस्य महिलाएँ होती चाहिए। प्रत्येक सदस्य तथा संस्था के रूप में सोसायटी किसी भी ऑयल कम्पनी द्वारा सिद्ध भ्रष्टाचार/मिलावट के कारण बर्खास्त डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के हस्ताक्षरकर्ता नहीं रही हो। सोसायटी को एक वर्जित संकल्प प्रस्तुत करना होगा कि आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन करने का अधिकार सौंपा गया है. आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा व्यक्तित्व के मापदंड ऐसी सोसायटियों को लागू नहीं होंगे।

**6. संगठित निधाय :** जैसे कि बर/टुक एसोसिएशन एवं कॉर्पोरेट हाउस (केंद्र/राज्य की सार्वजनिक उपक्रम कंपनियाँ, साथ ही कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत समोस्थिक कंपनियाँ) केवल खुली श्रेणी के अधीन आवेदन के लिए पात्र हैं शैक्षणिक योग्यता एवं व्यक्तित्व मापदंड इन निकाय पर लागू नहीं होंगे. **प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ आवेदन की पात्र नहीं हैं।**

**7. आवेदन पत्रों की जांच :** निधारित समय/तारीख तक प्राप्त आवेदन की जांच अधिकारियों के दल द्वारा की जाएगी और योग्यता मापदंड तथा अलग नियम व शर्तों पर पात्र या नए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच की जाएगी और दूर द्वारा जमीन के विवरण/दस्तावेजों का मूल्यांकन जाएगा. रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए आवश्यक हो तो प्रस्तावित जमीन की उपयुक्तता जानने के लिए साइट का दौरा भी किया जा सकता है. अगर आवेदकों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा और उन्हें उनके आवेदन पत्र को अस्वीकार किए जाने का कारण बताते हुए लिखित रूप में सूचना दी जाएगी।

**8. उम्मीदवारों के मूल्यांकन हेतु मापदण्ड : भागीदायी के सहित व्यक्तिगत उम्मीदवारों के लिए :** हर उम्मीदवार निम्न मापदंडों के आधार पर निधारण किया जायेगा।

क) आधारभूत सुविधाएं/जमीन उपलब्ध कराने की क्षमता	35 अंक
ख) वित्त उपलब्ध कराने की क्षमता	25 अंक
ग) शैक्षणिक योग्यताएँ	15 अंक
घ) व्यवसाय बढ़ाने की क्षमता	10 अंक
च) आयु	4 अंक
छ) अनुभव	4 अंक
ज) व्यवसाय क्षमता / कुशालता	5 अंक
झ) व्यक्तित्व	2 अंक
<b>कुल अंक</b>	<b>100 अंक</b>

डीलर चयन मार्गदर्शक में **जमीन / वित्त के संदर्भ में परिवार के सदस्य की जमीन / वित्त** को आवेदक का ही माना जायेगा बशर्ते कि आवेदक इस संदर्भ में परिवार के सदस्यों का समन्वित पत्र संलग्न करे। विवाहित व्यक्ति के परिवार में पति/पत्नि अविवाहित पुत्र (पुत्रों) / पुत्री (पुत्रियों) और अविवाहित व्यक्ति के परिवार में अविवाहित भाई (भाइयों)/बहन (बहनों) माता – पिता का समावेश है।

**न्यूनतम अर्हता अंक**

**(ओपी) खुली श्रेणी**

**कुल लागू अंक का 60%**

**आरक्षित श्रेणी – (ओपी-म.) खुलीमहिला श्रेणी सहित**

**कुल लागू अंक का 50%**

- i) डीलरशिप के लिए आवेदन करनेवाली युद्ध में शहीदों की विधवाओं का मूल्यांकन ‘बुनियादी संरचना एवं सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता’ तथा ‘वित्त प्रदान करने की क्षमता’ – के अंतर्गत नहीं किया जाएगा.
- ii) विधवाओं एवं 40 वर्ष से अधिक उम्र की अर्जक अभिवायक रहित अविवाहित महिलाओं का, महिलाओं हेतु आरक्षित स्थानों के लिए, उनके आवेदन तथा अनुरोध के विषयाधीन, मूल्यांकन शीर्षकों ‘बुनियादी संरचना एवं सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता’ तथा ‘वित्त प्रदान करने की क्षमता’ के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। इन आवेदकों को आवेदन फॉर्म में ही उल्लेख करना होगा कि क्या वे इन सुविधाओं को लेना चाहेंगी। अगर आवेदन फॉर्म में इसका उल्लेख नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि, ये आवेदन अन्य आवेदकों के साथ मूल्यांकन किया जाना चाहते है. अर्थात् उनका ही अंतर्गत मूल्यांकन किया जाना चाहिए. ‘बुनियादी संरचना एवं सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता’ तथा ‘वित्त प्रदान करने की क्षमता’ ऐसी उम्मीदवारों को दूसरी महिला उम्मीदवारों की तुलना में प्राथमिकता दिए जाने का निर्धारण करने के लिए अलग महिलाओं द्वारा इन दो मापदण्डों के अंतर्गत प्राप्त किए गये अंकों को उनके द्वारा कुल अर्जित अंकों से हटा दिया जाएगा.

iii) अन्य उम्मीदवार जो उमर 1 और 11 श्रेणी में नहीं आते हैं उनका मूल्यांकन ‘बुनियादी संरचना एवं सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता’ तथा ‘वित्त प्रदान करने की क्षमता’ – के अंतर्गत नहीं किया जाएगा.

**iv) व्यक्ति न होनेवाले उम्मीदवारों के ( कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों, संगठित संस्थानों, संबंध राज्य सरकार के धर्मादा आयुक्त के पास पंजीकृत चेरिटेबल ट्रस्टों और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के तहत पंजीकृत सोसाइटीओं) आवेदकों के लिए.**

ए) भूमि एवं आधारभूत संरचना /सुविधाएं उपलब्ध करने की क्षमता	35 अंक
बी) वित्त उपलब्ध कराने की क्षमता	25 अंक
सी) शैक्षणिक योग्यताएँ	0 अंक
डी) व्यवसाय सृजित करने की क्षमता	25 अंक
ई) आयु**	4 अंक
एफ) अनुभव**	4 अंक
जी) व्यवसाय क्षमता / कुशालता	7 अंक
एच) व्यक्तित्व	0 अंक
<b>कुल अंक</b>	<b>100 अंक</b>

**\* व्यक्ति न होनेवाले उम्मीदवारों की आयु का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जायेगा**

<b>अस्तित्व के वर्ष</b>	<b>दिये जानेवाले अंक</b>
1. 3 वर्ष से कम	0 अंक
2. 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	4 अंक
3. 5 वर्ष या उससे अधिक	2 अंक

**\*\* व्यक्ति न होनेवाले उम्मीदवारों के अनुभव का मानांकन इस प्रकार किया जायेगा**

<b>क्षेत्र</b>	<b>दिये जानेवाले अंक</b>
1. पेट्रोलियम क्षेत्र	4 अंक
2. ऑटोमोबाईल/ट्रांसपोर्ट सेवा	2 अंक



# हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

## रिटेल आउटलेट डीलरों की नियुक्ति हेतु सूचना

(पिछले पृष्ठ से जारी ....)

<b>एचपीसीएल रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) डीलरशिप के लिए आवेदन</b> <p>(कृपया इस आवेदन को भरने से पूर्व हमारी वेबसाइट या क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध ‘विवरणिका’ का भलीभांति अवलोकन कर लें)</p>	<b>पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ</b> <p><b>फोटोग्राफ पर नमूना हस्ताक्षर करें</b></p>
---	---

स्थान (पर अथवा आसपास)----- राजस्व जिला -----राज्य----- श्रेणी -----ममममममम-----
(ओपी/ओपी–महिला/पीएच/पीएच–महिला/पीएमपी/पीएमपी–महिला/डीइएफ/डीइएफ–महिला/एएएफ/एफएफ–महिला : ओएसपी/ओएसपी–महिला (कृपया प्रमाण स्वचक्र संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. द्वारा -----का -----

(दिनांक) ----- (समाचार पत्र का नाम) -----
विज्ञापित स्तर: व्यक्ति/भागीदारी/रजि. को–ऑपरेटिव सोसायटी/संगठित निकाय/कॉर्पोरेट हाउस/प्लौट ऑपरेटर चेरिटेबल ट्रस्ट (लागू अनुसार ✓ करें)

- व्यक्तिगत : (व्यक्ति परिशिष्ट ‘ए’ के अनुसार हलफनामा संलग्न करें)
  - नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री/श्रीमती/कु. -----
  - पिता/पति का नाम : -----
  - पता : -----पिन : -----

टेलीफोन नं. -----ई–मेल पता -----
  - राष्ट्रीयता : -----
  - जन्म तिथि : ----- उम्र : (आवेदन के तिथि को पूर्ण आयु) ----- (प्रमाण संलग्न करें)
  - शैक्षणिक अर्हताएं : ----- (प्रमाण संलग्न करें)
  - निवास स्थान : ----- शहर ----- जिला ----- राज्य (ग्रामिण में क्षेत्र **हमारा पम्प** के आवेदक निवास प्रमाणपत्र संलग्न करें)
  - लिंग ----- (पुरुष/महिला)
  - वैवाहिक स्थिति : ----- (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर/तलाकशुदा)
  - विवाहित आवेदकों के मामले में

पति/पत्नी का पूरा नाम : -----

अविवाहित बच्चों के पूरे नाम : -----
    - 
    - 
    -
- अविवाहित आवेदकों के मामले में कृपया लिखें :
  - पिता का पूरा नाम -----
  - माता का पूरा नाम -----
  - अविवाहित भाई (भाईयों)/बहन (बहनों) के पूरे नाम -----

- ✓ 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला के मामले में :
  - क्या आपके अभिभावक (माता/पिता) आमदनी कमा रहे हैं ? **हाँ / नहीं**
  - क्या आप कॉरपस फंड सुविधा का लाभ लेने के इच्छुक हैं? **हाँ / नहीं**

✓ विधवाओं के मामले में
  - कृपया अपने पति की मृत्यु तारीख लिखें (तारीख/माह/वर्ष)
  - क्या आप कॉरपस फंड सुविधा का लाभ लेने की इच्छुक हैं? **हाँ / नहीं**

अपने पति का मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करें तथा यह हलफनामा भी प्रस्तुत करें कि आपने पुन: विवाह नहीं किया है.

- वे महिला आवेदक जिनका विवाह के बाद नाम बदल गया है, कृपया विवाह पूर्व और विवाह पश्चात के नाम के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र संलग्न करें ।

- युद्ध विधवाओं के मामले में : कृपया प्राधिकृत आधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करें
- क्या आप या आपके निम्नलिखित कोई निकट संबंधी किसी ऑयल कंपनी की किसी एमएस–एचएसडी/एसकेओ–एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के डिस्ट्रीब्यूटर या आशयपत्र (एलओआई) धारक हैं?

**विवाहित आवेदक के मामले में :**

- (i) पति/पत्नी (ii) अविवाहित पुत्र/पुत्रियां **हाँ / नहीं**

**अविवाहित आवेदक के मामले में :**
- (i) माता – पिता (ii) अविवाहित भाई / बहनें

यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें. -----
- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सकल आय (वर्ष लिखें) : ----- रु.

सकल आय रु. ----- प्रमाणपत्र संलग्न करें ।
- वर्तमान पेशा : -----
- यदि आप आयकर भरते हैं तो कृपया अपने पैन नं. का उल्लेख करें । पैन नं. -----
- क्या आपके पास व्यवसाय/बिक्री अनुभव है? यदि हां तो कृपया पूरा विवरण दें. ----- (अलग से विवरण संलग्न करें)
- क्या आपके पास कार्मिकों के पर्यवेक्षण का अनुभव है ? यदि हाँ तो कृपया पूर्ण विवरण दें.----- (अलग से विवरण संलग्न करें)
- डीलरशिप चलाने की अपनी योजना का विवरण अलग से संलग्न करें.
- भागीदारिता के मामले में, कृपया प्रत्येक भागीदार का नाम दें तथा प्रस्तावित भागीदारी विलेख प्रस्तुतकरें.

जमा करते समय सभी भागीदारों के आवेदन भी संलग्न करें : -----
- क्या आप किसी भी ऑयल कंपनी द्वारा सिद्ध भ्रष्टाचार /मिलावट के कारण बर्खास्त एसकेओ–एलडीओ डिलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के हस्ताक्षरकर्ता रहे हैं ? यदि हाँ, तो विवरण दें । अन्यथा परिशिष्ट ‘ए’ के अनुरूप हलफनामा प्रस्तुत करें.

- रजि. सोसायटियाँ / संगठित निकाय : (संगठित निकाय केवल खुली श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं)**
    - सोसायटी / संगठित निकाय का नाम -----
    - पता : ----- पिन : -----

टेलीफोन नं. : -----ई–मेल पता: -----

(परिशिष्ट ‘ए1’ के अनुसार हलफनामा प्रस्तुत करें)

पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए ऑडीट किए गए लाभ एवं हानि विवरण संबंधी प्रतियाँ संलग्न करें.
- जमीन संबंधी विवरण (सभी आवेदक उपलब्ध कराएँ):
    - क्या आपके पास डीलरशिप के लिए विज्ञापित स्थान पर आसपास साइट तुरंत उपलब्ध है? **हाँ/नहीं**

अगर हां, शहर / नगर/गांव ----- जिला : ----- राज्य : -----

सर्वे नं. -----हिस्सा नं./पटवारी हलका नं. : ----- सड़क का नाम -----
    - एनएच नं./एसएच नं./अन्य सड़क : ---- निकटतम कि.मी. का पत्थर : -----कुल जमीन का आकार (एकर/चौरस मीटर) ----- (साइट नक्शा डायमेंशन के साथ जोड़ें)
    - जमीन के मालिक का नाम : ----- (प्रमाण संलग्न करें)
    - जमीन के मालिक के साथ आवेदक का संबंध : -----
    - क्या आप जमीन ऑयल कंपनी को दीर्घकालीन पट्टे पर देने के इच्छुक हैं? **हाँ/नहीं**

अगर हां, किस दर/शर्तों पर -----)
- (अगर आवेदक जमीन का मालिक नहीं है तो जमीन के मालिक का सहमति पत्र /कानूनी कागजात संलग्न किये जाएं.)**

13. निधियों के स्त्रोतों का विवरण (सभी आवेदकों द्वारा देना है)
मुक्त तथा बंधनरहित सरकारी प्रतिभूतियों/सावधि जमा राशियों का आबंटित करने के लिए विवरण ऋण उपयुक्तता, कर्ज, यूटीआई, एनएसबी, बैंडन, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के शेयर्स इत्यादि के लिए बैंकर्स/ वित्तीय संस्थानों के प्रमाणपत्र (संलग्न परिशिष्ट ए–2 में)
अन्य संपत्तियों जैसे कि अचल (जमीन, स्मारत आदि) चल सम्पत्ति जैसे कि वाहन आदि का विवरण, आमदनी का अन्य कोई स्त्रोत जैसे कि ब्याज, किराया, व्यवसाय आदि (कृपया सभी मामलों में प्रमाण उपलब्ध कराएं).
आमदनी का अन्य कोई स्त्रोत जैसे कि ब्याज, किराया, व्यवसाय आदि निम्न प्रारूप में देना है।(आवश्यकता नुसार अलग शीट संलग्न करें.)

प्रकार	खाता नं. आदि का विवरण	धारक का नाम	संबंध	राशि (₹)

नोट : अनुसुचित जाति/जनजाति, और युद्ध मे शहीदों की विधवाओं के संवर्ग के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पैरा 12 एवं 13 में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है । विधवाओं और 40 वर्ष से अधिक आयु की अर्जक अभिभावक रहित उन महिलाओं को, जो महिलाओं के लिए आरक्षित स्थलों के लिए आवेदन कर रही है तथा कॉरपस फंड स्कीम की सुविधा का लाभ लेने की इच्छूक है, उपरोक्त 12 एवं 13 के अनुसार जानकारी देने की आवश्यकता नहीं हैं ।

- आवेदक जहाँ भावी ग्राहकों से सेल्स वॉल्यूम के लिए गठबंधन का उल्लेख करता है, वहाँ आवेदकों को ऐसे भावी ग्राहकों द्वारा परिशिष्ट ए–3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ हलफनामा प्रस्तुत करना होगा.
- क्या आपको किसी न्यायालय द्वारा अपराधिक कृत्य जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार तथा/या आर्थिक अपराध शामिल है। (स्वतंत्रता संग्राम को छोड़कर) अपराधी पाया गया है ? (व्यक्तियों, भागीदारों, कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी के सदस्यों के रूप में कॉ–ऑप सोसायटी तथा संगठित निकाय को भी लागू) कृपया बताएं **हाँ या नहीं** -----
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में आहरित में देय ----- रूपए का ----- (बैंक का नाम) डिमांड ड्राफ्ट/पे

**नोट : मूल हलफनामे संलग्न किये जाएं । अन्य सभी प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों की विधिवत सत्यापित फोटो प्रति /सत्य प्रति संलग्न की जाए परंतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो समस्त मूल दस्तावेज लाने होंगे ।**

- अन्य कोई जानकारी : -----

- अभिचयन :**  मैं वचन देता /देती हूं कि इस आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना है यदि ऐसा न किया गया तो डीलरशिप का मेरा आवेदन रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी मुझे जानकारी है । मैं भली–भांति जानता हूँ कि यदि मैं रोजगार मे हूँ तो हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपनी पॉलिसी के अधीन मुझे डीलर के रूप में नियुक्त नहीं करेगा। डीलरशिप के लिए मुझे नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले मुझे अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना होगा। मेरे नियोवता द्वारा उसे स्वीकार किए जाने का प्रमाण मुझे एचपीसीएल को बताना होगा । चुन लिए जानेपर मुझे एचपीसीएल की पॉलिसी के अनुसार ब्याज मुक्त सुरक्षा राशि जमा करनी होगी.

मैं, ----- एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है । किसी जानकारी के गलत पाए जाने /वास्तविकता को छिपाए जाने पर मैं डीलरशिप /डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अयोग्य माना जाऊंगा/ जाऊंगी।

स्थान : -----

तिथि : -----

संलग्न : इस आवेदन के साथ कुल ----- दस्तावेज संलग्न हैं. हस्ताक्षर

संलग्न : दस्तावेजों / हलफनामों की सूचि (स्पष्ट अक्षरों में नाम)

-----

<b>परिशिष्ट–ए</b>
<b>( 100 ₹ मूल्य के गैर–ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर टाइप किया जाए)</b>
<b>व्यक्तियों एवं भागीदारों के लिए हलफनामा</b>
-----

मैं, -----
आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री ----- हूँ, मेरी उम्र ----- वर्ष है तथा –----- की निवासी हूँ, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूँ तथा निम्नानुसार कहता/ कहती हूँ :

- कि मैं भारतीय नागरिक हूँ ;
- कि मैं अविवाहित हूँ । कि न तो मेरे पिता, माता, अविवाहित भाई/बहन(नो) के पास किसी आयल कंपनी का रिटेल आऊटलेट हेतु आशय पत्र है न कि एसकेओ–एलडीओ डीलरशिप /एलपीजी डिस्ट्रीब्यूफ्टरशिप का नियुक्ति पत्र जारी किया गया है ।

- या**

कि मैं विवाहित हूँ । कि न मैं न मेरे पति/पति, अविवाहित पुत्रों/पुत्रियों के पास डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप है या किसी ऑयल कंपनी का रिटेल आऊटलेट हेतु आशय पत्र है न कि एसकेओ–एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कोई नियुक्ति पत्र जारी किया है ।
- Ⓒ** कि मैं 40 वर्ष के ऊपर और अविवाहीत महीला हूँ तथा मेरे माता–पिता कमाऊ नहीं है.
- Ⓓ**कि मैं विधवा हूँ और मैं पुनर्विवाहित नहीं हूँ। **(जो लागू न हो उसे काट दें)**
- कि मुझे कभी किसी अपराधिक कृत्य के लिए दोषी नहीं पाया गया है जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार / आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम को छोड़कर) भी शामिल हैं.
- मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता /करती हूँ कि मैं किसी भी ऑयल कंपनी द्वारा सिद्ध भ्रष्टाचार / मिलावट के कारण बर्खास्त डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुबंध का/की हस्ताक्षरकर्ता कभी भी नहीं रहा/रहीं हूँ.
- मेरे आवेदन की क्रम संख्या 13 में डीलरशिप संचालित करने हेतु विभिन्न वित्तीय स्त्रोतों का उल्लेख किया गया है। मैं वचन देता/देती हूं कि इस राशि के वर्णित कर्ष हेतु उपलब्ध करायेगे। यदि यह राशि आवश्यकतानुरूप उपलब्ध नहीं करायी गयी तो डीलरशिप का प्रस्ताव किसी भी चरण मे वापस कर दिया जायेगा । ऐसी स्थिति में मैं तेल कंपनी पर किसी भी हर्जाने का दावा पेश करने का अधिकार नहीं रखूंगा/रखूंगी ।
- मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता /करती हूँ कि उपरोक्त कही गई बातें मेरी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं तथा इसमें किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है. अगर ----- डीलरशिप दिए जाने हेतु मेरे/हमारे आवेदन में या आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत किए गये किसी कागजात में या इस हलफनाम में दी गई किसी जानकारी/घोषणा को गलत या मिथ्या या असत्य पाया जाता है तो डीलरशिप को रद्द करना (अगर नियुक्त किया जा चुका हो) आशय पत्र को वापस लेना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकार में होगा और हम इसे वापस लेने/रद्द करने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विरूद्ध कोई दावा नहीं करेंगे.

सत्यनिष्ठा के साथ पुष्टि की गई तथा मेरे समक्ष घोषित किया गया

आज----- दिनांक <span> </span> : -----	-----
मजिस्ट्रेट/जज /नोटरी पब्लिक	हलफनामा करनेवाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
के हस्ताक्षर तथा सील	(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

<b>परिशिष्ट–सी</b>	
<b>निवास प्रमाण पत्र</b>	
-----	-----
संदर्भ क्रमांक	दिनांक <span> </span> : -----
प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/कु. -----	-----पुत्र /पत्नी/पुत्री -----
-----जिला -----राज्य -----	-----
-----का/की निवासी है।	-----
-----	-----
-----	हस्ताक्षर
-----	उप तहसीलदार / तहसीलदार
-----	उप मामलातदार / मामलातदार (कार्यालय की मुहर)
-----	या
-----	-----
-----	पुलिस उपायुक्त / आयुक्त का हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर	
सूचना <span> </span> : उपरोक्त प्रारूप में निवास प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से 6 महीनों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।	

<b>परिशिष्ट–ए2</b>
<b>सभी आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराया जाए, केवल उन्हें छोड़कर जो अ.जा./ अ.ज.जा. और युद्ध में शहीदों की विधवाओं के लिए आरक्षित श्रेणी के अधीन आवेदन कर रहे हैं।</b>
<b><u>जिस किसी से भी संबंधित हो</u></b>

श्री/सुश्री/मेसर्स ----- इस बैंक के पिछले ----- वर्षों से ग्राहक है और यह/वे हमारी बैंक/संस्थान की निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं :
(क) -----
(ख)-----
(ग)-----

उपर्युक्त अवधि के दौरान श्री/सुश्री/मेसर्स ----- का बैंक से व्यवहार संतोषजनक रहा है. यदि उन्हें डीलरशिप आबंटित की जाती है तो हम उन्हें रु.----- (रुपए -----) का कर्ज देना चाहेंगे।
कार्यालय की मोहर हस्ताक्षर
दिनांक : नाम और पदनाम

-----

<b>परिशिष्ट–ए3</b>
<b>(भावी ग्राहकों से प्राप्त करके, आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ संलग्न करना है)</b>
<b>(योग्य मूल्य के गैर–ज्यूडिसिशियल स्टैम्प पेपर पर टाइप किया जाए)</b>
<b>हलफनामा</b>
मैं----- के पुत्र/पुत्री/पत्नी उम्र ----- वर्ष ----- पते पर रह रहा/रही हूँ । निष्ठापूर्वक निम्न कथन करता/करती हूँ।

- (आवेदक का नाम) ----- को पुत्र/पुत्री/पत्नी ----- का/की निवासी (पता) में ----- (स्थान) पर ----- (ऑयल कंपनी का नाम) रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए आवेदन किया है ।
- मेरे पास ----- (उत्पाद का नाम) की -----केएल की खपत प्रति माह----- (उद्देश्य) के लिए है।
- मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि यदि उपर्युक्त आवेदक को डीलरशिप प्रदान की जाती है तो आपसी सहमति से वाणिज्यिक निर्बंध एवं शर्तों पर -- -----केएल प्रति माह की आपूर्ति उनसे ग्रहण करूंगा।
- मैं एतद्द्वारा यह पुष्टि करता /करती हूँ कि उपर्युक्त स्थान के लिए किसी अन्य आवेदनकर्ता को मैंने कोई वचन नहीं दिया है।
- मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई नहीं गई है। निष्ठापूर्वक मेरे समक्ष घोषित।

-----माह के -----दिन	
मजिस्ट्रेट/जज /नोटरी पब्लिक	हलफनामा करनेवाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
के हस्ताक्षर तथा मोहर	(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

-----

<b>परिशिष्ट–बी</b>
<b>(शारीरिक विकलांग उम्मीदवार के लिए वैद्यकीय अधिकारी का प्रमाणपत्र)</b>
मैं डॉ. ----- रजिस्ट्रेशन नं. ----- ने -----प्रमाणित करता हूँ कि मैंने -----माह के -----दिन को नीचे दिए विवरण के उम्मीदवार की जाँच की है ।

- नाम : -----
- पहचान चिन्ह : -----
- लिंग : -----
- पिता/पति का नाम : -----
- अंदाजन आयु : -----
- (अ) आर्थोपैडिकली विकलांग

I) **अपंगता का प्रकार (निम्नलिखित मे से)** जो लागू हो उसे (✓) करें ।

पोस्ट पोलिओ, पॅरालिसिस, हेमिप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, कंजीनाइटल, हेमीपेलवेटर्तामी, किओपॅटर्स रिस्ट

ii) विकलांगता की प्रमाण

iii) अनुमानित प्रतिशत

iv) उपकरण का प्रयोग (यदि हो)

v) कोई ऑपरेशन हुआ है या सुचित किया है

ख) अंधा होने से विकलांग

ग) रूँगा होने से विकलांग

घ) बधिर होने से विकलांग

7. यदि कोई विवरण स्पष्ट करना हो तो :

विकलांगता का स्वरूप और प्रमाण यदि सर्जन निर्देश करना चाहे तो:

स्थान <span> </span> : -----	
आर्थोपैडिक सर्जन/ऑथ के सर्जन/इंफनटी सर्जन के हस्ताक्षर	पदनाम
दिनांक <span> </span> : -----	(मोहर)
सिविल सर्जन/मुख्य वैद्यकीय अधिकारी/शासकीय अस्पताल के निरीक्षक के प्रति हस्ताक्षर	

--